रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072022-237191
CG-DL-E-08072022-237191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ़ 17, 1944
No. 486] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 524(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 47 के खंड (viiक घ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम 1962 में, नियम 21क ट के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"21क ठ. मूल निधि द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षित अन्य शर्तें- अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiक घ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (iv) के प्रयोजनार्थ, मूल निधि ऐसे मामले में जहां पूंजीगत आस्ति को परिणामी निधि, वैकल्पिक विनिधान निधि की श्रेणी 3 होने के कारण, में हस्तांतरित किया जाता है इस शर्त को पूरा करेगी कि भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मूल निधि में सकल भागीदारी या विनिधान ऐसे हस्तांतरण के समय ऐसी निधि के कोष के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।";

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ पद "मूल निधि" तथा "परिणामी निधि" का अर्थ वही होगा जो क्रमश: धारा 47 के खंड (viiक ग) तथा खंड (viiक घ) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।";

[अधिसूचना सं. 80/2022/ फा.सं. 370142/11/2022 –टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 482 (अ) तारीख 30 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2022

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (a) of *Explanation* to clause (viiad) of section 47 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (21st Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 21AK, the following rule shall be inserted, namely: —

"**21AL. Other Conditions required to be fulfilled by the original fund. -** For the purposes of sub-clause (iv) of clause (a) of *Explanation* to clause (viiad) of section 47 of the Act, the original fund, in a case where a capital asset is transferred to a resultant fund being a Category III Alternative Investment Fund, shall fulfil the condition that the aggregate participation or investment in the original fund, directly or indirectly, by persons resident in India shall not exceed five per cent. of the corpus of such fund at the time of such transfer.

Explanation.- For the purpose of this rule, the expressions "original fund" and "resultant fund" shall have the meanings respectively assigned to them in the *Explanation* to clause (viiac) and clause (viiad) of section 47.";

[Notification No. 80/2022/F. No. 370142/11/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R.482 (E) dated 30th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.08 18:04:21 +05'30'